

शाना:-

ई.ओ.डब्ल्यू. एसीबी रायपुर, जिला रायपुर

परसध क्रमांक --

9/2015

प्र.पी.-118

धारा:-

13(1) डी धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं 109,120 बी भा.द.वि.

जप्ती स्थान:-

कार्यालय शाखा प्रबंधक, स्टेट वेयर हाउस / नागरिक आपूर्ति निगम गुडियारी शाखा रायपुर ।

जप्ती दिनांक व समय --

17.03.2015 के 17:30 बजे

किससे जप्त किया --

श्री कमल सिंह पिता श्री छोटे लाल सिंह, उम्र 33 साल नि० दैनिक वेतन भोगी कार्यालय शाखा प्रबंधक, स्टेट वेयर हाउस गुडियारी शाखा रायपुर (छ०ग०)

जप्तीकर्ता अधिकारी --

एस०के०सैन, निरीक्षक, ए.सी.बी. रायपुर

गवाह का नाम --

1-किशन चेलक पिता श्री परसू राम चेलक, उम्र 38 साल, कनिष्ठ सहायक, नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय, रायपुर अवन्ति बिहार रायपुर

2-काशी प्रसाद नायक पिता श्री रामसेवक नायक उम्र 60 साल कनिष्ठ सहायक स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन गुडियारी शाखा रायपुर

कारण जप्ती --

वजह सबूत में ।

विवरण --

1 एक गेटपास क्रमांक 168376 दिनांक 20.06.14 का ट्रक क्रमांक सी०जी०-04 जेड सी 1878

2. एक धर्मकांटा रजिस्टर जो दिनांक 15.01.14 से प्रारंभ होकर दिनांक 23.05.14 तक लिखा गया है ।

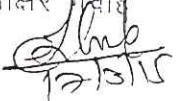
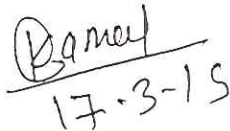
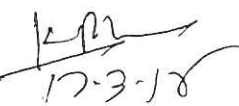
3. एक धर्मकांटा रजिस्टर जो दिनांक 24.05.14 से प्रारंभ होकर दिनांक 27.01.15 तक लिखा गया है ।

नोट :- सभी जप्त पंजी के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ में प्रस्तुतकर्ता एवं गवाहों के हस्ताक्षर हैं ।

हस्ताक्षर गवाह

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर जप्तीकर्ता

1. 2. 

निरीक्षक (रा.ई.दिवस्थान)
 (रा.ई.दिवस्थान)
 निरीक्षक ए.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
 रायपुर (ज.ग.)